न्यायालय सहायक कलक्टर, किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद सं0 63/2024

मन्दिर मूर्ति युगलकिशोर जी महाराज किशनगढ जरिये आराधक श्री भागीरथ वैष्णव पुत्र स्व. श्री सीताराम वैष्णव निवासी खवाखस भैरू जी के गली पुराना शहर किशनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य

– प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर राज. व अन्य।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता

निर्णय दिनांक 15/01/2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि गैरनजरसानीकर्ता संख्या 08 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम पुरोहित ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के तहत पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी नजरसानी श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है जिसमे नजरसानीकर्ता द्वारा श्रीमान के विधिवत निर्णय दिनांक 14.05.2024 को चुनौती दी गयी है जो की विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तनीय है। नजरसानी कर्ता द्वारा माननीय श्रीमान के समक्ष ग्राम फरासिया अवस्थित आराजी खसरा संख्या 186 रकबा 91 बीघा 18 बिस्वा की आराजी बाबत राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत किया गया था जबकि उक्त दिवस से पूर्व दिनांक 06.09.2022 को ही उक्त वादग्रस्त आराजी के हिस्से 1.9998 हेक्टेयर का संपरिवर्तन आदेश नगर परिषद् किशनगढ़ द्वारा पारित कर दिए गए है जिसके पश्चात भूमि की किस्म कृषि नहीं होकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग एवं उपभोग में किया जा रहा है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रावणाधिकार राजस्व अदालतों को नहीं होना मानते हुए नजरसानीकर्ता/वादी का वाद बार्ड बाय लॉ मानते हुए आदेश 07 नियम 11 के तहत निरस्त किया गया था किन्तु उन्ही बिन्दुओ पर पुनः नजरसानी याचिका प्रस्तुत करने में नजरसानीकर्ता द्वारा नजरसानी याचिका प्रस्तुत की गयी है जो की काबिल निरस्तनीय है। नजरसानीकर्ता को नगर परिषद् किशनगढ़ द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेश दिनांक 06.09.2022 की जानकारी प्रारम्भ से रही है जिसके विरुद्ध नजरसानीकर्ता द्वारा संभागीय आयुक्त जी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी जो की संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 22.05.2024 को निरस्त की जा चुकी है इस प्रकार संपरिवर्तन आदेश आज भी प्रभाव में है एवं जब वादग्रस्त आरजी की किस्म कृषि नहीं रही तो राजस्व अदालतों को प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त एवं हासिल नहीं होने से प्रस्तुत नजरसानी याचिका निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी बाबत पूर्व में गैर नजरसानी कर्ता संख्या 9 लगायत 13 के पूर्वज नानग पुत्र घीसा द्वारा इन्ही धाराओं के अंतर्गत राजस्व वाद वर्ष 1970 में श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसकी अपील गैर नजरसानी कर्ता संख्या 9 लगायत 13 के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो राजस्व अपील प्राधिकारी जी, अजमेर द्वारा 07.10.2010 को निर्णीत कर दी गयी थी जिसके विरुद्ध गैर नजरसानी कर्ता संख्या 9 लगायत 13 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय तक चाराजोही की गयी जिसमे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.10.2010 को बहाल रखा गया है अब पुनः नजरसानी कर्ता द्वारा गैर नजरसानी कर्ता संख्या 9 लगायत 13 के साथ संयोजन कर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्फल किये जाने के कुउद्देश्य से श्रीमान के समक्ष उक्त वादपत्र

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रस्तुत किया था जिसे श्रीमान द्वारा पूर्णतया विवेचन कर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत निरस्त किये जाने के विधिवत आदेश पारित किये है जिसके विरुद्ध उक्त नजरसानी याचिका प्रस्तुत की गयी है जिसमे कोई त्रुटि नहीं होने से नजरसानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत नजरसानी याचिका काबिल निरस्तनीय है। नजरसानी कर्ता मंदिर मूर्ति के ना तो आराधक है ना ही उक्त मूर्ति में कोई आस्था एवं विश्वास रखता है मात्र प्रत्यार्थी संख्या 3 लगायत 8 को प्रत्यार्थी संख्या 09 लगायत 13 के साथ मिलीभगत कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निष्फल किये जाने के उद्देश्य से उक्त नजरसानी याचिका श्रीमान के समक्ष संस्थित की गयी है जिसे प्रस्तुत किये जाने का कोई भी विधिक अधिकार नजरसानी कर्ता को प्राप्त नहीं है उक्त सभी विधिक बिन्दुओ को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान द्वारा विधिक आदेश पारित किया गया था जिसमे कोई विधि अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित नहीं की गयी इस कारण नजरसानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत नजरसानी याचिका निरस्त योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपने अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है की नजरसानी का स्कोप अत्यंत सीमित है नजरसानी की आड़ में प्रकरण की पुनः सुनवाई अनुज्ञेय नहीं है

2024 RRT (1) Page 77
2017 RBJ Page 690
Even an erroneous order cannot be corrected under review jurisdiction-
2024 RRT (1)Page 571
Power of Review is very limited and it may be euercrised only if there is A mistake or an error apparent on the face of the record-
2018 RBJ Page 273 (SC)

उक्त सभी न्यायिक दृष्टांतो के अंतर्गत भी नजरसानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत नजरसानी याचिका काबिल निरस्तनीय है, नजरसानी कर्ता द्वारा नजरसानी याचिका में श्रीमान द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2024 में क्या विधिक त्रुटि कारित की है स्पष्ट नहीं कर पाए है जिस कारण नजरसानी याचिका स्वीकार की जा सके जबकि श्रीमान द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए पर्याप्त कारण अपने निर्णय में अंकित करते हुए निर्णय पारित किया है जिस कारण भी नजरसानी याचिका काबिल निरस्तनीय है–**2017 RBJ Page 496**

अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन है की गैर नजरसानी कर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नजरसानी याचिका में कोई विधिक बल नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान फरमावे ।

वकील नजरसानीकर्ता ने जवाब पेश कर निम्न प्रकार से निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र केवल मात्र इस नजरसानी के निस्तारण में विराम करनें एवं इस अवधि दौरान उपरोक्त खसरा संख्या 186 रकबा 91 बीघा 18 बिस्वा 14.8694 हैक्टेयर सम्पूर्ण का वर्ग परिवर्तन करवाकर नजरसानीकर्ता मन्दिर मूर्ति के हितों की सम्पति कों साठगाठ कर खुर्द बुर्द करना इसी के रहतें हुये यह प्रार्थना पत्र कारण विहीन रूप से प्रस्तुत किया है। इस नजरसानी में नजरसानीकर्ता द्वारा विधिक पहलू माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किये है जों दिनांक 14.05.2018 को आलौचित आदेश जिसकें जरियें वाद आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन खारिज किया गया वह पत्रावली पर उपलब्ध न्यायिक आदेश, तथ्य एवं उच्चतर न्यायालयो के निर्देश तथा सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 02.11.2018 के आदेश की गलत व्याख्या विवेचन किये जानें बाबत् एवं पत्रावली पर दिनांक 16.08.2023 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ द्वारा पारित आदेश की गलत विवेचन किये जानें के बाबत् उपरोक्त विधिक न्यायिक त्रुटि **appearent on face of record** होने के कारण वर्णित हुये यह नजरसानी प्रस्तुत की है। जिसके बाबत् संक्षिप्त में निम्न तथ्य पुनः अंकित है :–

(01) यह वाद दिनांक 2.09.2022 को प्रस्तुत किया था एवं वाद संस्थन दिनांक को उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि खसरा संख्या 186 रकबा 91 बीघा 18 बिस्वा 14. 8694 हैक्टेयर राजस्व श्रेणी की राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। यह तथ्य विधि से सुस्थापित है कि किसी भी वाद में तथ्यात्मक, कारण वाद संस्थन दिनांक को ही दृष्टिगत किया जाना विधि संगत रहता है।

(02) यह तथ्य उपरोक्त प्रतिवादी का भी संस्वीकृत है कि उपरोक्त वाद अधीन भूमि खसरा संख्या 186 रकबा 91 बीघा 18 बिस्वा 14.8694 हैक्टेयर में से वाद संस्थन पश्चात

राजस्व रिकॉर्ड में भूमि का वर्ग नामान्तरण संख्या 786 दिनांक 19.09.2022 को केवल मात्र .9908 हैक्टेयर के बाबत् आदेश किया था आज भी राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खसरा संख्या 186 में से कायम नवीन खसरा जिनका रकबा 12.8896 हैक्टेयर रहता है। वह कृषि ही दर्ज है। माननीय न्यायालय से उच्चतर श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ द्वारा दिनांक 16.08.2023 को इसी भूमि के बाबत् वादी मन्दिर के अन्य आराधक द्वारा दायर वाद में आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र यह मानकर क्षेत्राधिकार विहीन माना है कि उपरोक्त भूमि राजस्व श्रेणी की होने से पहलें मन्दिर के नाम खातेदारी के बाबत् राजस्व न्यायालय में ही वाद सुनवाई क्षेत्राधिकारिता के अधीन न्यस्त रहता है। दिनांक 16.08.2023 के पारित आदेश के पैरा संख्या 13 व 16 पर अभिनिर्धारित पहलू स्पष्ट है। यह आदेश भी पत्रावली पर दिनांक 14.05.20234 को आदेश किये जानें पूर्व ही उपलब्ध था। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.11.2018 के बाबत् यह विवेचन किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादी की खातेदारी के बाबत् आदेश किय है इस कारण इस पहलू के रहतें हुये वाद को खारिज किया था जबकि दिनांक 02.11.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्पेशल लीव पीटीशन को बिना गुणानुगण पर टिप्पणी किये खारिज किया है। दिनांक 02.11.2018 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निम्नानुसार – हम आरोपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं – फलस्वरूप विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है - लंबित आवेदन यदि कोई हो का भी निपटारा किया जाता है। माननीय न्यायालय समक्ष नजरासानी में यह तथ्य अवधारण जन्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02/11/2018 के पारित आदेश में किसी भी बिंदु के बाबत् तथ्य पर विवेचन नही कर निष्कर्ष नही दिया है एवं ग्राह्यता के स्तर पर ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा दिंनाक 14/05/2018 के आदेश में दखलदांजी किया जाना समूचित नही माना है। इस परिपेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02/11/2018 के आदेश में प्रतिवादीगण की खातेदारी सही होने बाबत् कोई निर्णय निष्कर्ष मत सिंद्धांत प्रतिपादित नही किया है। जबकि नजरसानी अधीन आदेश में इसके विपरित निष्कर्ष किया गया है। जहां तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का दिनांक 14/05/2018 का आदेश है में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह पहलु अवधारित किया है कि **We are of the opinion that the petitioners/appellants have not joined temple as a party in the first appeal] the order which was passed under order 41 Rule 27 CPC is just and proper- However it will be binding to the parties in proceeding namely the parties before the first appellate authority] board of revenue and before this court and it will not be binding to the party who were not party in proceedings before the first appellate authority] second appellate authority, learned single judge amd this court-Counsel for the appellants contended that temple was not a party- In this order will be binding to the parties in proceedings.The appeal stands disposed of"** इस पहलू पर माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 14.05.2024 पारित किये जानें पूर्व प्रतिवादी लवली प्रमोटर्स द्वारा भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जो उन्होने न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्याायलय संख्या 01 किशनगढ के न्यायालय में प्रस्तुत की थी एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ ने अपनें आदेश दिनांक 16.08.2023 में यह विवेचन किया है कि "हमारी विनम्र राय में सर्वप्रथम मुख्य रूप से दोनों पक्षों को उनके चैन ऑल डॉक्यूमेन्ट्स के आधार पर सुना जाकर ही विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में खातेदारी एवं कृषि सम्बन्धी अधिकारों के सम्बन्ध में घोषणात्मक अनुतोष प्राप्त किया जाना आवश्यक है " **In the court ADJ I Kishangarh the defendant submit copy of plaint of this court which mention in order dated 16-08-2023 in page no- 5 point no. 04** न्यायाललय एसडीओं किशनगढ में प्रस्तुत वाद पत्र मन्दिर मूर्ति युगल किशोर जरिए आराधक भागीरथ वैष्णव व अन्य बनाम राज सरकार व अन्य की प्रति प्रस्तुत कर न्यायालय में यह अभिवाक किया था खातेदारी अधिकारो का अवधारण राजस्व क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय में किया जाना है एवं दिनांक 13.05.2023 को उनके द्वारा किये गये अभिवाक कि यह भूमि सिविल क्षेत्राधिकारिता की, होने से सिविल न्यायालय के समक्ष ही वाद अवधारणीय है। यह पहलू प्रथम दृष्टया ही इस न्यायालय के साथ भी एक पहलू पर ही प्रतिवादी द्वारा अलग

अलग न्यायालय में अलग अलग कथन किये जानें की मानसिकता को परिलक्षित करवाता है। नजरसानी इस परिपेक्ष में भी प्रथम दृष्टया ही स्वीकार किये जानें योग्य रहती है **can this court allow the defendant to submit willfully wrong fact when judicial order of higher court shows the condect of defendant is not as per legal good conscience still court can allow this fact. Can this court, still getting this clear averment still did not be serious for not putting clear point by defendant at the time of argument dated 13-05-2024.**

उपरोक्त समस्त बिन्दू प्रथम दृष्टया ही नजरसानी के अधीन अवधारण जन्य है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू तों यह है कि अपनी स्व प्रेरणा से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 02.11.2018 के आदेश का माननीय न्यायालय के समक्ष विवेचन कर बहस में उल्लेख किया है। जबकि माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को पारित आदेश स्पष्ट है जों अपनें आप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 व 142 के अधीन सभी पर बाध्यकारी है एवं दिनांक 02.11.2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2024 को उसके बाबत् किया गया विवेचन जो प्रथम दृष्टया ही पत्रावली पर पारित आदेश के प्रति नजरसानी याचिका को विधिक रूप से अवधारण जन्य प्रमाणित कर देता है। चरणवार प्रति उत्तर–प्रार्थना पत्र पैरा संख्या 01 में नजरसानी प्रस्तुत किया जाना एवं माननीय न्यायालय में लम्बित होना स्वीकार है। इस पैरा के शेष कथन गलत है एवं अस्वीकार है। प्रारम्भिक आपत्ति के कथन इस पैरा में अंकित टंकित मानें जानें जाकर पढे एवं समझें जावें। नजरसानी पैरा संख्या 02 के कथन में यह अस्वीकार है कि वाद ग्रस्त आराजी में से 1.9998 हैक्टेयर के बाबत् संपरिवर्तन आदेश (**conversion order**) जारी किया जा चुका हो वाद संस्थन दिनांक राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त भूमि खसरा संख्या 186 रकबा 91 बीघा 18 बिस्वा अर्थात 14.8694 हैक्टेयर सम्पूर्ण कृषि भूमि की दर्ज थी। जिसकी जमाबन्दी वाद संलग्न प्रस्तुत' है एवं आज भी उपरोक्त भूमि से 12.8696 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिसकी नवीनतम जमाबन्दी श्रेणी निम्नानुसार है :

क्र.स	खसरा	रकबा	किस्म	प्रतिवादी / खातेदार
1.	685 / 186	0.9640	बारानी 2	1. कैलाशचन्द पुत्र भंवरलाल हिस्सा 275 / 1838 2. गोमती पत्नी कैलाशचन्द हिस्सा 275 / 1838 3. मैसर्स अर्पिता बिल्ड मार्ट प्रा० लि० हिस्सा 369 / 919 4. मैसर्स लवली कॉलोनाईजर हिस्सा 275 / 919
2	686 / 185	0.1860	बारानी 2	1. कैलाशचन्द पुत्र भंवरलाल हिस्सा 275 / 1838 2. गोमती पत्नी कैलाशचन्द हिस्सा 275 / 1838 3. मैसर्स अर्पिता बिल्ड मार्ट प्रा० लि० हिस्सा 369 / 919 4. मैसर्स लवली कॉलोनाईजर हिस्सा 275 / 919
3	693 / 688	0.5788	बारानी 2	मैसर्स लवली कॉलोनाईजर्स प्रा. लि. हिस्सा सम्पूर्ण
4	698 / 688	0.9331	बारानी 2	मैसर्स लवली कॉलोनाईजर्स प्रा. लि. हिस्सा सम्पूर्ण
5	700 / 688	0.9950	बारानी 2	मैसर्स लवली कॉलोनाईजर्स प्रा. लि. हिस्सा सम्पूर्ण
6	694 / 688	0.2894	बारानी 1	गोमती पत्नी कैलाशचन्द हिस्सा सम्पूर्ण
7	696 / 688	1.4641	बारानी 2	गोमती पत्नी कैलाशचन्द हिस्सा सम्पूर्ण
8	695 / 688	0.2894	बारानी 1	कैलाशचन्द पुत्र भंवरलाल हिस्सा सम्पूर्ण
9	697 / 688	1.4641	बारानी 1	कैलाशचन्द पुत्र भंवरलाल हिस्सा सम्पूर्ण

विशेषतः ऐसी स्थिति में जब माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ़ द्वारा दिनांक 16.08.2023 को पारित आदेश के अधीन माननीय न्यायालय ने लम्बित इस वाद के रहते हुये प्रकरण राजस्व श्रेणी का मानतें हुये आदेश पारित किये है इस विधिक आदेश के रहते हुये इस पैरा के कथन स्वीकार योग्य नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2024 को आदेश में उपरोक्त दिनांक 16.08.2023 के आदेश का ही विवेचन नहीं किया है। नजरसानी के पैरा संख्या 03 के कथन गैर नजरसानीकर्ता संख्या 08 के वर्णितानुसार स्वीकार नहीं है के नजरसानीकर्ता को दिनांक 06.09.2022 के आदेश की जानकारी हो एवं यह भी पूर्णतः स्वीकार नहीं है कि दिनांक 22.05.2024 का आदेश अन्तिम हो चुका हो तथा स्वयं नजरसानीकर्ता का यह संस्वीकृत पहलू है कि माननीय न्यायालय द्वारा

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)

पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 को माननीय सम्भागीय आयुक्त ने उपरोक्त कार्यवाही लम्बित की एवं दिनांक 14.05.2024 तक माननीय सम्भागीय आयुक्त का स्थगन आदेश प्रभाव में था।

नजरसानी पैरा संख्या 04 व 05 के कथन गैर नजरसानीकर्ता के सामूहिक विधिक कार्यवाहियों के कथन है गैर नजरसानीकर्ता 09 लगायत 13 एवं गैर नजरसानीकर्ता 01 लगायत 08 का आपस में षडयंत्र रहा था जिसके रहतें हुये मन्दिर की सम्पति को उन्होने फर्जी दस्तावेज, पट्टा व सजरा बनाकर दिनांक 07.10.2010 को खातेदार मन्दिर को पक्षकार बनायें बिना उक्त राजस्व अपील अधिकारी से आदेश प्राप्त किया है जिसके बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.05.2018 को अपनें आदेश में यह वर्णित किया है कि मन्दिर पक्षकार नहीं है एवं राजस्व अपील अधिकारी का आदेश केवल जो पक्षकार है उन्हीं पर प्रभावी होगा तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा भी दिनांक 08.08.2014 को आदेश करतें हुये गैर निगरानी 09 लगायत 13 को विनिर्दिष्ट किया था कि राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष उपरोक्त पट्टे, सजरें आदि के बाबत् वह पुन' नजरंसानी प्रस्तुत करें किन्तु गैर नजरसानीकर्ता 09 लगायत 13 एवं गैर नजरसानीकर्ता 01 लगायत 08 का मन्दिर की सम्पति हडप करने का उद्देश्य था एवं उन्हें यह संज्ञान था कि पट्टा फर्जी है क्योंकि उसमे ना तो खसरा संख्या अंकित है ना ही भूमि के मालिकाना अधिकार प्रदत्त किये गये है ना ही प्राप्तकर्ता का नाम है ना ही दरबार के प्रस्ताव नं अंकित है ना ही पट्टे पर हस्ताक्षर है ना ही पट्टे सम्पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया है एवं इसके साथ साथ पट्टे में वर्णित 140 बीघा भूमि बतायी गयी है जबकि वाद अधीन भूमि 91 बीघा 18 बिस्वा भूमि है उसमें भी तात्विक विरोधाभास है एवं इसी प्रकार सजरा दिनांक 15.07.2010 पुजारियों का ही ना कि विरासत का इसके रहतें हुये गैर नजरसानीकर्ता 09 लगायत 13 ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.2014 के निर्देश की भी पालना नहीं की है। यह तथ्य गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 लगायत 13 के मिलीभगत कों प्रमाणित करता है। नजरसानी पैरा 06 व 07 में वर्णित न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं करतें है क्योंकि माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 01 किशनगढ़ द्वारा दिनांक 16.08.2023 को पारित आदेश के निष्कर्ष के अधीन यह वाद लम्बित होनें से राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकारिता को भी कारण बनाकर सिविल न्यायालय का वाद सुनवाई से खातेदारी अधिकार घोषणा राजस्व न्यायालय में ही न्यस्त करतें के साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.11.2018 जॉ ग्राह्यता के स्तर ही दिनांक 14.05.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ के आदेश को सही होनें के कारण तथ्यात्मक रूप से कोई विवेचन नहीं किया है। जबकि गैर नजरसानीकर्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के शब्दों के बाबत् विधिक सदास्यता के प्रतिकूल अभिवाक किया है एवं इसका उल्लेख नजरसानी अधीन अलौचित आदेश में माननीय न्यायालय में वाद खारिज करतें समय किया है एवं निर्णय में भी यह उल्लेख किया है कि वादी मन्दिर पक्षकार नहीं था। ऐसी स्थिति में उपरोक्त गैर नजरसानी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त चस्पा नहीं होतें है इस पहलू पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर

(citation 2022 (2) CJ(Civ-) (SC) 543)
(SUPREME COURT)
HON'BLE JUSTIC MR- SHAH
HON'BLE MRS- JUSTIC B-V- NAGARATHNA

Premlata/sunita vs- Naseeb Bee & Ors- Code of civil Procedure, 1908-Order 7,Rule 11- Earlier, In the proceedings before the Tehsildar a plea of lack of jurisdiction was raised&He accepted the objection and dismissed the application u/s- 250 of MPLRC& Plaintiff instituted the suit before the civil Court Whether it was open for respondents to take an objection that the suit would be berred in view of sec- 257 of MPLRC\ Held] no&Respondents cannot be allowed and approbrate and reprobate and to take just a contrary stand than taken before the revenue Authority&High Court committed a grave error in allowing the application. इसी अनकम में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने के न्याय निर्णय 2013 (2) **WLC page no. 213** पर अवधारित सिद्धांत स्पष्ट है **judicial Decorum&Principle&When higher court has ruled on particular issue in favour of one and against another, better wisdom of lower court should yield to higher**

wisdom of court above.माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनें न्याय निर्णय DCR 2018 पृष्ठ ..3 के पैरा संख्या 18 में यह पहलू अवधारित किया है " 32 When a position in law is wl! settled as a result of judicial pronouncement of this Court] it would amount to judicial impropriety to say the least for the subordinate courts including the High Courts to ignore the settled decisions and then to pass a judicial order which is clearly contrary to the settled legal position such judicial adventurism can not be permitted and we strongly deprecate the tendency of the subordinate courts in not applying the settled principles and in passing whimsical orders which necessarily has the effect of granting wrongful and unwarranted relief to one of the parties- It is time that this tendency stops.
अन्य दृष्टान्त भी अनुसलंग्न है। शेष कथन प्रार्थना गैर नजरसानीकर्ता संख्या 06 है जब माननीय न्यायालय द्वारा नजरसानी दर्ज की जा चुकी है तो इस प्रार्थना पत्र में वांछित अनुतोष एवं प्रार्थना पत्र में कोई बल नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर नजरसानी के अधीन के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर आदेश किये जानें की कृपा करावें।

हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा वकील नजरसानीकर्ता की ओर से पेश लिखित बहस का अध्ययन किया गया। नजरसानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा हस्तगत नजरसानी वाद संख्या 158/2022 उनवान मन्दिर मूर्ति श्री युगल किशोर जी वगै. बनाम सरकार में दिनांक 14.05.2024 के आदेश की पुनः समीक्षा बाबत पेश की है। हमारे द्वारा वाद संख्या 158/2022 उनवान मन्दिर मूर्ति श्री युगल किशोर जी वगै. बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 का अवलोकन किया गया। सी.जे. सिविल 2003 (01) (एस.सी.) पेज नम्बर 121 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है कि मामले की पुनः सुनवाई किया जाना विधिक रूप से अनुतोष नहीं है, पुनर्विलोकन अपील का छद्मवेश नहीं है, पुनर्विलोकन की शक्तियों का प्रयोग केवल त्रुटि संशोधन के लिये किया जा सकता है ना कि मत को प्रतिस्थापित करने के लिये। विवाद जिसने अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा चुका है उसके निर्णय को पुनः लिखे जाने की मानसिकता को दर्शित करना पूर्णतया अन्यायसंगत होगा। राजस्व मण्डल के पारित निर्णय आर. आर. टी. 2011–12 पेज संख्या 424 रामकुमार बनाम नारायण में पारित निर्णय में उल्लेखित किया है कि अपील की जगह समीक्षा नहीं हो सकती और समीक्षा का उपाय तथ्यों की पुनः जांच के लिए एक साधन नहीं है और इसका उपयोग निर्णय को दोबारा लिखने के लिए एक साधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। न्यायालय हाजा का पूर्वआदेश दिनांक 14.05.2024 समुचित है जिसमें त्रुटि सुधार का कोई विधिक आधार नहीं है, उक्त आदेश की समीक्षा किया जाना कानूनी तौर पर न्यायिक प्रक्रम नहीं है। उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर नजरसानीकर्ता द्वारा पेश नजरसानी न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि राज्य सरकार एवं राजस्व विभाग द्वारा आदेश/परिपत्र की अनुपालना में यदि वादग्रस्त भूमि मंदिर माफी की भूमि है तो सक्षम न्यायालय में वाद/अपील पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 15/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। .

सहायक कलक्टर
किशनगढ़ (अजमेर)